संख्या:96/2021/1083/35-4-2021

प्रेषक,

विवेक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांकः 12 जुलाई, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश सं0-71/2021/812/35-4-2021 दिनांक 25-03-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद गोण्डा हेतु स्वीकृत कार्य यथा- इकौना-विशेश्वरगंज-गंगा जमुनी-रामपुर दुबहा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 4.000 से 14.000 एवं चैनेज 34.880 से 38.180 में चौड़ीकरण (इंटरमीडिएट लेन) एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य- लम्बाई 13.300 किमी0 की रूपये 2367.68 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रूपये 591.92 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 के पत्र दिनांक 18 जून, 2021 के माध्यम से इंगित किया गया है कि यह मार्ग जनपद बहराइच एवं जनपद गोण्डा के मध्य पड़ता है, जिसमें से जनपद गोण्डा में मात्र 3.30 किमी0 तथा शेष 10.00 किमी0 लम्बाई जनपद बहराइच में पड़ता है। प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र के साथ संलग्न मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र लो0नि0वि0, गोण्डा के पत्र दिनांक 25 मई, 2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत कार्य निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0 बहराइच द्वारा सम्पादित कराया जाना है, अतः उपरोक्त आवंटित धनराशि जिलाधिकारी गोण्डा से जिलाधिकारी बहराइच को अन्तरित करने का कष्ट करें।"

3- अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य हेतु उपर्युक्त शासनादेश द्वारा जनपद गोण्डा को अवमुक्त की गयी धनराशि को कार्यहित में नियमानुसार जनपद बहराइच को अंतरित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या:96/2021/1083(1)/35-4-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
2- जिलाधिकारी, बहराइच।
3- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
4- मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा/बहराइच।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोण्डा/बहराइच ।
6- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोण्डा/बहराइच ।
7- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग गोण्डा/बहराइच।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।